उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

Misc Revision Case No.-298/2023
अवधेश चन्द्र पाण्डेय
–बनाम–
भुनेश्वर तिवारी

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/6/24	प्रस्तुत मामला अपीलार्थी अवधेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के द्वारा अपील वाद संख्या– 03/2023 में दिनांक 16.10.23 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन वाद दायर है। **वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:–** (1) यह मामला बरकट्ठा अंचल अन्तर्गत मौजा–बेलकपी के खाता संख्या–76 प्लॉट संख्या–2887 रकबा–0.32 एकड़ भूमि से संबंधित है। अंचल अधिकारी, बरकट्ठा के समक्ष दायर एक आवेदन के आधार पर वाद संख्या 06/2020–21 दर्ज की गयी एवं वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अवधेश चंद्र पांडेय के नाम से कायम जमाबंदी रद्द करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही के समक्ष अग्रसारित किया गया। (2) प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी सरस्वती देवी पत्नी कृष्णदेव तिवारी के नाम पर कायम थी। अपीलार्थी अवधेश चंद्र पांडे ने सरस्वती देवी के पति कृष्णदेव तिवारी से विक्रय विलेख संख्या 1523/83 दिनांक 11.10.1983 के द्वारा भूमि खरीदगी से हासिल है। (3) अपीलार्थी को उक्त भूमि के आंशिक भाग की एन.एच.2 परियोजना की सड़क के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण की राशि 1,22,685/–(एक लाख बाईस हजार छह सौ पचासी रुपये) भी प्राप्त हुई है। (4) अपीलार्थी का कहना है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बरही ने धारा 15 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की गलत व्याख्या के आधार पर लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा को अस्वीकृत कर दिया। (5) अपीलार्थी का अग्र कथन है कि प्रतिवादी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के आदेश के विरुद्ध अपर समाहर्ता, हज़ारीबाग के समक्ष अपील दायर कर दी जबकि विद्वान अपर समाहर्ता को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार करने और उस पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और ऐसा करने की कोई शक्ति प्रत्यायोजित नहीं है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

(6) अपीलार्थी का कहना है कि अपर समाहर्ता, हज़ारीबाग के विद्वान न्यायालय ने भी क्षेत्राधिकार का ग़लत प्रयोग करते हुए स्वामित्व का निर्णय लिया है जो कि उनमें निहित नहीं है। इसके लिए निम्न विद्वान न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी को राजस्व न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।

विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग के न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया जिसमें निम्न निष्कर्ष के साथ आदेश पारित किया गया है:–

''उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष 1983 में ग्राम बेलकपी के खाता सं० 76, प्लॉट सं0 2887. रकवा 32 डी० भूमि खरीद की गई एवं कई वर्षों से जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद कटवाते चले आ रहे हैं, जो कि Long Term जमाबंदी है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी–सह–सक्षम पदाधिकारी एन०एच०–02 हजारीबाग द्वारा भी NH–02 भू–अर्जन वाद सं० 55/12–13 द्वारा मुआवजा द्वितीय पक्ष अवधेश चन्द्र पाण्डेय को प्राप्त है। नंदलाल तिवारी पिता स्व० मनी तिवारी उम्र 62 वर्ष जो विक्रेता कृष्णदेव तिवारी के भाई हैं, का शपथ पत्र संख्या 412524 दिनांक 11.05.2023 में भी वर्णित है, जिसमें सरस्वती देवी का मृत्यु 1978 बताया है एवं सरस्वती देवी की मृत्यु के समय उनके बच्चे नाबालिक थे। कृष्णदेव तिवारी कृषि कार्य करते थे एवं पारिवारिक दैनिक कार्यों से अवधेश पाण्डेय को जमीन बिक्री किये है, जिसमें वे गवाह के रूप में भी है। उपरोक्त के आधार पर Hindu Successin Act की धारा 15 के तहत जमाबंदी खारिज करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस परिस्थिति में प्रथम पक्ष भुनेश्वर तिवारी एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।''

उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में दायर रिविजन वाद में निम्न तथ्यों के साथ आदेश पारित किया गया है:–

विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस को सुनने, दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि सरस्वती देवी को खरीदगी केवाला से हासिल है। Hindu Succession Act की धारा–15 के अनुसार सरस्वती देवी के देहान्त उपरांत भूमि पर सर्वप्रथम उनके पुत्र एवं पुत्रियों का अधिकार बनता है, जबकि विपक्षी द्वारा Hindu Succession Act की धारा–15 के विपरित सरस्वती देवी के मृत्यु के उपरांत उनके पति से अवैध ढंग से भूमि हासिल की गयी है। वर्तमान में भी भूमि पर अपीलार्थी का दखल कब्जा प्रतिवेदित है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरांत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही हजारीबाग के विविध वाद भुनेश्वर तिवारी वगै०–बनाम–अवधेश चन्द्र पाण्डये में वाद संख्या 04/2023–24 में दिनांक 18.05.2023 को पारित आदेश को खारिज करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को निदेशित किया जाता है कि विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए सरस्वती देवी के वैध उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत् करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरकट्ठा हजारीबाग को भेजें। क्षुब्ध पक्ष चाहें तो दावा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

वाद में सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत भूमि के स्वत्व के बिन्दु पर माननीय व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में टाईटल सूट नं–60/2024 अवधेश चन्द्र पाण्डेय–बनाम–भुनेश्वर तिवारी एवं अन्य दायर किया गया है जो निर्णय हेतु विचाराधीन है।

अतः वर्णित परिस्थितियों में इस पूरे मामले में उभय पक्षों के बीच विवाद एवं जटिलता को देखते हुए सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्ष मामले में माननीय व्यवहार न्यायालय में दायर टाईटल सूट नं0 60/2024 में आगे पहल करने हेतु स्वतंत्र हैं।

इसके साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

11/7/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

11/7/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.11 17:22:34 +05:30
Location: 192.168.1.35